रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2003/वैशाख 5, 1925
No. 61] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2003/VAISAKHA 5, 1925

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2003

फा.सं. 303/6/2003-टीआरएआई (इकॉन).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा, स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि वे टैरिफ जिन पर भारत में और भारत के बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई), एतद्द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है :—

दूरसंचार टैरिफ (सत्ताईसवां संशोधन) आदेश, 2003

(2003 का क्रमांक 4)

भाग I

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

   (i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (सत्ताईसवां संशोधन) आदेश, 2003" कहा जाएगा।

   (ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

भाग II

2. (i) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के भाग III (प्रविरिति याने फोरबियरेंस) के खंड 4 के अंतर्गत इस खंड के प्रावधान (जो टी टी ओ के 21वें संशोधन द्वारा डाला गया था) को मिटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है,

   "बशर्ते कि सेवा प्रदाता, ऐसे टैरिफ के मामले में, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 और दूरसंचार टैरिफ (सत्रहवां संशोधन) आदेश, 2002 (2002 का क्रमांक 1) दिनांक 22-1-2002 में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करेगा।"

   (ii) दूरसंचार टैरिफ (तेईसवां संशोधन) आदेश, 2002 (2002 का क्रमांक 7) दिनांक 6-9-2002 के भाग II के खंड 2.2 को मिटा दिया जाएगा।

भाग III

इस आदेश में, अनुलग्नक 'क' पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में इस संशोधन के कारणों की व्याख्या करता है।

आदेशानुसार,

डा. रूपा आर. जोशी, सलाहकार (आर्थिक)

[विज्ञापन III/IV/142/2003/असा.]

अनुलग्नक-क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश (17वां संशोधन) दिनांक 22-01-2002 के भाग II में, सभी दूरसंचार सेवाओं के (प्रविरिति वाले टैरिफों सहित) टैरिफों की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है।

2. दिनांक 13-06-2002 के 'टीटीओ' याने दूरसंचार टैरिफ आदेश (21वां संशोधन) द्वारा प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि सेवा प्रदाता, प्रविरिति वाले टैरिफों के संबंध में अपने टैरिफ प्रस्तावों को, उनके लागू होने के सात दिन के भीतर सूचनार्थ और रिकार्ड के लिए प्राधिकरण को भेजेंगे। इसके अतिरिक्त, दिनांक 6 सितंबर, 2002 के टीटीओ (23वां संशोधन) के द्वारा प्राधिकरण ने यह व्यवस्था की कि कोई भी सेलूलर मोबाइल सेवा प्रदाता जो अपने उस सेवा क्षेत्र में जिसमें वह सेलूलर मोबाइल सेवाएं दे रहा है, उसी में यदि कोई अन्य सुविधा आधारित सेवा, जैसे बुनियादी सेवा, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा, या अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा आदि दे रहा है तो वह, कार्यान्वयन के कम से कम 5 कार्य दिवस पहले, किसी भी नए टैरिफ और/या उसमें किसी भी परिवर्तन के बारे में, प्रस्तावों को अनुमोदनार्थ प्राधिकरण को भेजेगा। इस दौरान, दिनांक 24-1-2003 के 24वें संशोधन और दिनांक 24-1-2003 के ही आई यू सी विनियम के प्रभावी हो जाने से, प्राधिकरण ने महसूस किया कि भेदभावहीनता के विनियामक सिद्धातों को सुनिश्चित करने के लिए और स्वार्थपरक याने प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण को रोकने की दृष्टि से, आई यू सी की व्यवस्थाओं से टैरिफों की सुसंगतता को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं को वर्तमान प्रणाली से बदलने की जरूरत है और इसमें ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि वह सभी सेवा प्रदाताओं पर समान रूप से लागू हो। दूसरे शब्दों में, इस संशोधन की अधिसूचना से, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वे, प्रविरिति वाले टैरिफों सहित, सभी टैरिफों की रिपोर्ट दिनांक 22-1-2002 के टीटीओ (17वां संशोधन) में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं के अनुसार भेजें।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2003

No.303/6/2003-TRAI (Econ.).— In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of the Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999 by notification in the Official Gazette, in respect of tariffs at which Telecommunication services within India and outside India shall be provided:

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (TWENTY SEVENTH AMENDMENT) ORDER, 2003

(4 OF 2003)

Section I

1. Short title, extent and commencement:
   (i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Twenty Seventh Amendment) Order, 2003".
   (ii) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Section II

2. (i) Under Clause 4 of Section III (Forbearance) of the Telecommunication Tariff Order, 1999, the proviso to the said clause (which was inserted vide 21st Amendment to TTO) shall be deleted and substituted to read as under :

   "Provided that the service provider shall comply with the reporting requirements as specified in the Telecommunication Tariff Order, 1999 and the Telecommunication Tariff (Seventeenth Amendment) Order, 2002 (1 of 2002) dated 22-1-2002 in respect of such tariff."

   (ii) Clause 2.2 of Section II of the Telecommunication Tariff (Twenty third Amendment) Order, 2002 (7of 2002) dated 6-9-2002 shall be deleted.

Section III

This Order contains at Annex A as an Explanatory Memorandum which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

By Order,

Dr. ROOPA R. JOSHI, Advisor (Economic)

[ADVT III/IV/142/2003/Exty.]

Annex - A

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Telecommunication Tariff Order (17th Amendment), dated 22-1-2002 vide Section II stipulates the provisions in respect of Reporting Requirement for tariff for all telecom services including those under forbearance.

2. Vide TTO (21st Amendment) dated 13-6-2002, the Authority decided that service providers shall file their tariff plans in respect of tariffs which are under forbearance for information and record of the Authority within seven days from the date of implementation. Further, the Authority vide TTO (23rd Amendment) dated 6th September, 2002 stipulated that any cellular mobile service provider who provides any other facility based service such as basic Service, National Long Distance Service or International Long Distance Service in the same service area in which it is providing cellular mobile services, shall report to the Authority for its approval in respect of any new tariff and/or any changes therein at least 5 working days before implementation. Meanwhile with the issue of the 24th Amendment Order dated 24th January, 2003 and the IUC Regulation dated 24th January, 2003, the Authority observed that ensuring compliance of tariffs with IUC Regulation, 2003 is of cardinal importance. In addition, the compliance to regulatory principles of non-discrimination and predatory pricing is also of utmost importance. The Authority, therefore, decided that the provisions of the reporting requirement need to be amended from the existing system and changed so as to be equally applicable to all service providers. In other words, with the notification of this amendment, all service providers shall have to report all tariffs including those under forbearance as per the provisions of reporting requirements specified in the TTO (17th Amendment) dated 22-1-2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.